

कैम्प दाखिल खारिज चाद सं०..... 280/113-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक को ग्राम रुष्ठा क्यतरी में आयोजित कैम्प में
श्री श्री स्वामी देवी
बुद्ध पति श्री कल्याण कुमार
ग्राम इका इमली थाना आलम जेठ जिला पटना
बसीका नं० 7113 दिनांक 21/12/12 के द्वारा निर्माकित जमीन का
दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है ।

जमीन का विवस्थान

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>काजीकाग</u>	<u>पडिना</u> 20	<u>आ/2</u> 165	<u>ए/डिल</u> 87	<u>म.स.प</u> 124	<u>431.73</u> <u>काजीकाग</u>
		<u>होपना</u>			
		<u>198/165/154</u>			

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है । उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं । कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है ।

शुद्धि पत्र निर्गत करें ।

लेखापति

अंचलाधिकारी, पटना सदर

अंचलाधिकारी, पटना सदर